रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092020-221625
CG-DL-E-09092020-221625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2719] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 2020/भाद्र 18, 1942
No. 2719] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 2020/BHADRA 18, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2020

का.आ. 3064(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज़ के रूप में आधार का प्रयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और लाभग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धाराप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की ज़रूरत का निराकरण करता है;

और कि, भारत सरकार का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (*जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है*) केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम **प्रधानमंत्री – पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि)** (*जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है*) संचालित कर रहा है ।यह स्कीम पथ विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म-ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य (i) 10,000 रू. तक काम-काज लायक पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना; (ii) नियमित ऋण अदायगी को प्रोत्साहित करना; और (iii) डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना है ।यह स्कीम शहरी विकास विभाग या नगर प्रशासन के अधीन विभिन्न संस्थाओं या राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कोई अर्थ संबंधी विभाग और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, स्वयं सहायता समूह बैंकों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और स्कीम के अधीन क्रमबद्ध गारण्टी प्रशासन के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से भी कार्यान्वित की जा रही है।

और, इस स्कीम के अधीन, जारी किए गए मौजूदा स्कीम दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पथ विक्रेताओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् हिताधिकारी कहा गया है) को नियमित ऋण अदायगी को प्रोत्साहित करने और डिजिटल लेन-देन (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) को पुरस्कृत करने के साथ-साथ 10,000 रुपये तक का काम लायक पूंजी ऋण दिया जाता है;

और, उपर्युक्त स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय शामिल है;

अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें *इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है*), की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं को प्राप्त करने के पात्र किसी भी व्यक्ति को उसके पास आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित है;

(2) स्कीम के अधीन लाभों को प्राप्त करने के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति आधार अभिप्राप्त करने का हकदार है, तो ऐसे व्यक्ति को आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार] पर जा सकते हैं;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय से अपेक्षित है कि वह अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उन लाभग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करवाए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु उस व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने पर दी जाएंगी, अर्थात्:–

(क) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थातः-

(i) फोटो सहित बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक ; या

(ii) परमानेंट अकाउन्ट नम्बर (पैन) कार्ड ; या

(iii) पासपोर्ट ; या

(iv) राशन कार्ड ; या

(v) मतदाता पहचान पत्र ; या

(vi) मनरेगा कार्ड ; या

(vii) किसान फोटो पासबुक ; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंस

प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस ; या

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उनके शासकीय पत्र –शीर्ष पर जारी ऐसे लाभग्राही का फोटो सहित पहचान का प्रमाण-पत्र ; या

(x) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2. स्कीम के अधीन हिताधिकारियों को सुविधाजनक प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं करेगा कि स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के संबंध में हिताधिकारियों को जागरूक बनाए जाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता हो ।

3. जहां खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा अन्य किसी कारण के चलते हिताधिकारियों का आधार अधिप्रमाणन नहीं हो सका है, निम्नलिखित उपचारी तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् :

(क) अंगुलियों की छाप सही तरह से न होने की स्थिति में अधिप्रमाणन के लिए आइरिस स्कैन अथवा चेहरा पहचान सुविधा अपनाई जाएगी, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से प्रसुविधाओं के सुगम तरीके से परिदान के लिए अंगुलियों की छाप के अधिप्रमाणन सहित आइरिस स्कैनरों अथवा चेहरे की पहचान के लिए व्यवस्था करेगा;

(ख) यदि अंगुलियों की छाप अथवा आइरिस स्कैन अथवा चेहरे की पहचान के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है तो, जहां भी व्यवहार्य एवं अनुमत्य हो, वहां आधार के एकबारगी पासवर्ड अथवा समय आधारित एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी), यथास्थिति द्वारा अधिप्रमाणन की सुविधा दी जाएगी;

(ग) अन्य सभी मामलों में, जहां बायौमैट्रिक अथवा आधार एकबारगी पासवर्ड अथवा समय आधारित एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी) प्रमाणन संभव नहीं है, स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं वास्तविक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय द्वारा इसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थलों पर की जाएगी ।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक लाभग्राही अपनी समुचित प्रसुविधाओं से वंचित न हो, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से डीबीटी मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) में रेखांकित किए गए अनुसार समस्या समाधान प्रणाली का अनुसरण करेगा ।

5. यह अधिसूचना असम और मेघालय राज्यों के सिवाए, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं.के-13011(1)/7/2020-यूपीए–III-यूडी/9089562]

संजय कुमार,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2020

S.O. 3064(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Housing and Urban Affairs (*hereinafter referred to as the Ministry*) in the Government of India is administering the Central Sector Scheme of **Prime Minister's – Street Vendor's AatmaNirbhar Nidhi (PM-SVANidhi)** (*hereinafter referred to as the Scheme*). The Scheme is meant for providing special Micro-Credit Facility for Street Vendors with the objective (i) to facilitate working capital loan up to Rs.10,000; (ii) to incentivize regular repayment; and (iii) to reward digital transactions. The Scheme is implemented through various institutions under the Department of Urban Development or the Municipal Administration or any other concerned Department responsible for the implementation of the Scheme under the State Governments and Union Territory Administration, and also through the Scheduled Commercial Banks, Regional Rural Banks, Small Finance Banks, Cooperative Banks, Non-Banking Finance Companies, Micro Finance Institutions, Self Help Group Banks; the Small Industries Development Bank of India (SIDBI), and the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) for administering the graded guarantee cover under the Scheme (*hereinafter referred to as the Implementing Agencies*);

And whereas, under the Scheme, working capital loan upto Rs.10,000 is paid along with incentivizing the regular repayment and rewarding digital transactions *(hereinafter referred to as the benefits)* to the Street Vendors (*hereinafter referred to as the beneficiaries*) by the Implementing Agencies as per the extant Scheme guidelines issued there under;

And whereas, implementation of the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely :-

1. (1) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(2) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment and in case such person is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [as per the list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar;

(3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:–

a. if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

b. any one of the following documents, namely:-

(i) Bank Passbook or Post Office Passbook with photograph; or

(ii) Permanent Account Number Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide benefits to beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry through its Implementing Agencies shall make arrangements to ensure that wide publicity through media is given to make beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Ministry through its Implementing Agencies shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its Implementing Agencies .

4. In order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Ministry through its Implementing Agencies shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the States of Assam and Meghalaya.

[F.No. K-13011(1)/7/2020-UPA-III-UD/9089562]

SANJAY KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM